संख्या:35/2020/502/35-4-2020

प्रेषक,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर-खीरी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 मार्च,2020

विषय : वर्ष 2019-20 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई घोषणा के क्रम में जनपद लखीमपुर-खीरी की विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में शासनादेश संख्या-156/2019/472/35-4-2019 दिनांक 21 फरवरी,2019 के द्वारा 03 कार्य की रू. 500.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 341.24 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी के पत्र संख्या-187/त्व0आ0वि0यो0/2018-19 दिनांक 27 फरवरी, 2020 में उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 01 कार्य यथा: **ऐरा ईसानगर (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-4 एवं 5(790) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य** की अनुमोदित लागत लाख रू0 317.53 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त रू. 158.77 लाख का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत उक्त कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू. 158.76 लाख (रूपये एक करोड़ अट्ठावन लाख छिहत्तर हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 फरवरी,2019 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
5- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
6- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2020 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2020 तक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2020 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़को के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या:35/2020/502(1)/35-4-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/निदेशक एवं मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखीमपुर-खीरी।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in